रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D-L-33004/92

1992

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 1992/पौष 1, 1914
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 1992/PAUSA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

बम्बई, 22 दिसम्बर, 1992

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

संख्या एल ई-11112 92:—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जांच प्राधिकारी" से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव है और जो अध्याय 5 के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है ।

(ख) "प्ररूप" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है,

(ग) "निरीक्षण प्राधिकारी" से अध्याय 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है,

(घ) "मुख्य अधिकारी" से —

(i) किसी स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में स्वत्वधारी,

(ii) किसी भागीदारी फर्म को

(iii) किसी निगमित निकाय की दशा में निदेशक अभिप्रेत है, जो मर्चेंट बैंककार के क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी है,

(ङ) "नियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) नियम, 1992 अभिप्रेत है,

(च) उन शब्दों और पदों के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और नियमों में परिभाषित हैं वे अर्थ होंगे जो यथास्थिति, अधिनियम या नियमों में उनके हैं ।

अध्याय 2

मर्चेंट बैंककारों का रजिस्ट्रीकरण

3. प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन:—(1) किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन प्ररूप क में बोर्ड को किया जाएगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधिन आवेदन मर्चेंट बैंककार के निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्रवर्ग I, अर्थात् —

(i) निर्गमन प्रबंध का कोई क्रियाकलाप चलाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निगमन से संबंधित प्रास्पेक्टस और अन्य जानकारी तैयार करना, वित्तीय संरचना का अवधारण करना, वित्तदाताओं से संबंध बनाना और अंतिम आबंटन तथा अभिदाय का वापस करना सम्मिलित है; और

(ii) सलाहकार, परामर्शी, प्रबंधक निम्नांकक, संविभाग प्रबंधक के रूप में कार्य करना ।

(ख) प्रवर्ग-II, अर्थात्, सलाहकार, परामर्शी, सह-प्रबंधक, निम्नांकक, संविभाग प्रबंधक के रूप में कार्य करना,

(ग) प्रवर्ग-III, अर्थात् किसी निर्गमन के निम्नांकक, सलाहकार, परामर्शी के रूप में कार्य करना,

(घ) प्रवर्ग-IV, अर्थात् किसी निर्गमन के केवल सलाहकार या परामर्शी के रूप में कार्य करना ।

(3) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी मर्चेंट बैंककार द्वारा किया गया कोई आवेदन, जिसमें ऐसी या उनके यथा निकटतम विशिष्टियां हैं जो प्ररूप क में वर्णित है, उप-विनियम (1) के अनुसरण में किया गया आवेदन माना जाएगा और उसके संबंध में तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी ।

4. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप होगा:—विनियम 3 के उप-विनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण और प्ररूप में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, नामंजूर कर दिया जाएगा :

परंतु यह कि किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व आवेदक को ऐसी आपत्तियां जो बोर्ड द्वारा उठाई जाएं विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने का अवसर दिया जाएगा ।

5. जानकारी, स्पष्टीकरण देना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व:—(1) बोर्ड आवेदक से आवेदन के निपटारे के प्रयोजनों के लिए किसी मर्चेंट बैंककार के क्रियाकलाप से सुसंगत बातों की बाबत और जानकारी या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) आवेदक या उसका मुख्य अधिकारी यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा ।

6. आवेदन पर विचार:—बोर्ड कोई प्रमाणपत्र देने पर विचार करने के लिए सभी बातों का ध्यान रखेगा जो मर्चेंट बैंककार से संबंधित क्रियाकलाप से सुसंगत हैं और विशेष रूप से यह कि आवेदक निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करता है, अर्थात्:—

(क) कि आवेदक के पास पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर और अपने क्रियाकलाप प्रभावी रूप से करने के लिए जनशक्ति जैसी आवश्यक अवसंरचना है;

(ख) आवेदक के नियोजन में कम से कम दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मर्चेंट बैंककार के कारबार का संचालन करने का अनुभव है ;

(ग) आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण नहीं दिया गया है ;

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित" पद से, यदि आवेदक कोई निगमित निकाय है तो ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आवेदक का सहयुक्त, समनुषंगी, अंतः संबंधित या समूह कंपनी है ।

(घ) आवेदक विनियम 7 में विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा को पूरा करता है ;

(ङ) आवेदक, उसका भागीदार, निदेशक या मुख्य अधिकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी मुकदमेबाजी से लिप्त नहीं है जिससे आवेदक के कारबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(च) आवेदक, उसका निदेशक, भागीदार या मुख्य अधिकारी किसी समय किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक

अधमता अंतर्वलित है या किसी आर्थिक अपराध का दोषी नहीं पाया गया है ;

(छ) आवेदक के पास सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से वित्त, विधि या कारबार प्रबंध में वृत्तिक अर्हता है ;

(ज) आवेदक को प्रमाणपत्र देना विनिधानकर्ताओं के हित में है ।

7. पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा:—(1) विनियम 6 के उप-विनियम (घ) में निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की शुद्ध मिल्कियत से कम नहीं होगी ।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए शुद्ध मिल्कियत निम्नलिखित होगी, अर्थात्:—

प्रवर्ग	निम्नतम रकम
प्रवर्ग I	1,00,00,000 रुपए
प्रवर्ग II	50,00,000 रुपए
प्रवर्ग III	20,00,000 रुपए
प्रवर्ग IV	शून्य

स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदक की दशा में जो भागीदारी फर्म या निगमित निकाय है "शुद्ध मिल्कियत" से विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन करने के समय यथास्थिति ऐसी फर्म के कारबार में अभिदाय की गई पूंजी का मूल्य या ऐसे निगमित निकाय की समादत्त पूंजी धन खुली आरक्षितियां अभिप्रेत हैं ।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया:—(1) बोर्ड अपना यह समाधान होने पर कि आवेदक पात्र है प्ररूप ख में प्रमाणपत्र देगा और आवेदक को उस प्रवर्ग का वर्णन करते हुए सूचना देगा जिसके लिए बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है ।

(2)(i) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां प्रमाणपत्र उस प्रवर्ग से निम्नतर प्रवर्ग के लिए दिया गया जिसके लिए आवेदन किया गया था वहां आवेदक ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(ii) बोर्ड खंड (i) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार कर सकेगा और उच्चतर प्रवर्ग के लिए प्रमाणपत्र दे सकेगा ।

(3) उप-विनियम (2) के खंड (i) के अधीन किए गए आवेदन पर उसी रीति से विचार किया जाएगा जिस रीति से विनियम 3 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार किया जाता है ।

(4) प्रमाणपत्र दिए जाने पर आवेदक उस प्रवर्ग के लिए फीस देने का दायी होगा जिसके लिए अनुसूची-2 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है :

परंतु यह कि संदेय फीस उस वर्ष के लिए जिसमें रजिस्ट्रीकरण उच्चतर प्रवर्ग में मंजूर किया गया है मर्चेंट बैंककार द्वारा पहले ही संदत्त फीस की रकम में अनुपाततः कम कर दी जाएगी ।

9. प्रमाणपत्र का नवीकरण:—(1) प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति से तीन मास पूर्व बैंककार यदि वह ऐसा चाहता है तो नवीकरण के लिए प्ररूप क में आवेदन कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर उसी रीति से कार्यवाही की जाएगी मानो प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए वह नया आवेदन हो ।

(3) बोर्ड, अपना यह समाधान होने पर कि आवेदक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पात्र है, प्ररूप ख में प्रमाणपत्र देगा और आवेदक को उस प्रवर्ग का वर्णन करते हुए सूचना देगा जिसके लिए बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है ।

4) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां प्रमाणपत्र उस प्रवर्ग से निम्नतर प्रवर्ग के लिए दिया गया है जिसके लिए आवेदन किया गया था वहां आवेदक ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(5) उप-विनियम (4) के अधीन किए गए आवेदन पर उसी रीति से विचार किया जाएगा जिस रीति से विनियम 3 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार किया जाता है ।

(6) प्रमाणपत्र दिए जाने पर आवेदक उस प्रवर्ग के लिए फीस देने का दायी होगा जिसके लिये अनुसूची-2 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है :

परंतु यह कि संदेय फीस उस वर्ष के लिए जिसमें रजिस्ट्रीकरण उच्चतर प्रवर्ग में मंजूर किया गया है मर्चेंट बैंककार द्वारा पहले ही संदत्त फीस की रकम में अनुपाततः कम कर दी जाएगी।

10. प्रक्रिया जहां रजिस्ट्रीकरण मंजूर नहीं किया जाता है :—(1) जहां विनियम 3 के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने या विनियम 9 के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 6 में उपवर्णित मानदंड को पूरा नहीं करता है वहां बोर्ड सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से इंकार की सूचना ऐसे इंकार से तीस दिन के भीतर बोर्ड द्वारा आवेदक को दी जाएगी जिसमें वे आधार कथित होंगे जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है ।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) बोर्ड उप-विनियम (3) के अधीन किए गए आवेदन पर पुनर्विचार करेगा और अपने विनिश्चय की लिखित सूचना आवेदक को यथासंभव शीघ्र देगा ।

11. प्रमाणपत्र देने से इंकार का प्रभाव:—कोई मर्चेंट बैंककार जिसका प्रमाणपत्र के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर कर दिया गया है विनियम 10 के उप-विनियम (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से ही मर्चेंट बैंककार के रूप में कोई क्रिया कलाप करना बंद कर देगा ।

12. फीस का संदाय और फीस का संदाय करने में असफलता के परिणाम:—(1) किसी प्रमाणपत्र के दिए जाने के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक ऐसी फीस का संदाय अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट रीति से और अवधि के भीतर करेगा ।

(2) जहां कोई मर्चेंट बैंककार वार्षिक फीस का, जैसे अनुसूची-2 के साथ पठित उपविनियम (1) में उपबन्धित है, संदाय करने में असफल रहता है वहां बोर्ड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा जिस पर मर्चेंट बैंककार उस अवधि के लिए मर्चेंट बैंककार के रूप में कोई क्रिया-कलाप करना बंद कर देगा जिसके दौरान निलंबन अस्तित्व-युक्त रहता है ।

अध्याय - 3

साधारण बाध्यताएं और उत्तरदायित्व

13. आचार संहिता:—प्रत्येक मर्चेंट बैंककार अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा ।

14. लेखा-बहियां, अभिलेख आदि बनाए रखना:—(1) प्रत्येक मर्चेंट बैंककार निम्नलिखित लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, अर्थात्:—

(क) प्रत्येक लेखा अवधि के अंत तक के तुलनपत्र की एक प्रति;

(ख) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा की एक प्रति;

(ग) उस अवधि के लिए लेखाओं पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति ;

(घ) द्वितीय स्थिति का विवरण ।

(2) प्रत्येक मर्चेंट बैंककार बोर्ड को उस स्थान की सूचना देगा जहां लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज बनाए रखे जाते हैं ।

(3) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक मर्चेंट बैंककार प्रत्येक लेखा अवधि के अंत के पश्चात् बोर्ड को, तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और किन्हीं अन्य पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के लिए ऐसे अन्य दस्तावेज पेश करेगा जब बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए ।

15. अर्ध-वार्षिक परिणाम प्रस्तुत करना:—प्रत्येक मर्चेंट बैंककार बोर्ड को अर्ध-वार्षिक अपरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगा जब मर्चेंट बैंककार की पूंजी पर्याप्तता की निगरानी करने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए ।

16. लेखा-बहियां, अभिलेख और अन्य दस्तावेज बनाए रखना:— मर्चेंट बैंककार विनियम 14 के अधीन बनाई रखी गई लेखा-बहियों और अन्य अभिलेखों तथा दस्तावेजों को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखेगा ।

17. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट:—प्रत्येक मर्चेंट बैंककार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से दो मास के भीतर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा।

18. अग्रणी मर्चेंट बैंककारों की नियुक्ति:—(1) सभी निर्गमनों का अग्रणी मर्चेंट बैंककार के रूप में कार्य करने वाले कम से कम एक मर्चेंट बैंककार द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए;

परंतु यह कि त्यजन के अधिकार सहित या रहित विद्यमान सदस्यों को अधिकारों की प्रस्थापना के किसी निर्गमन में जहां निगमित निकाय के निर्गमन की रकम पचास लाख से अधिक नहीं है अग्रणी मर्चेंट बैंककार की नियुक्ति अनिवार्य नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक अग्रणी मर्चेंट बैंककार किसी निर्गमन से संबंधित कार्य का जिम्मा लेने से पूर्व ऐसे निर्गमन और विशेष रूप से प्रकटीकरणों आबंटन, प्रतिदायों से संबंधित अपने परस्पर अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं को उपवर्णित करते हुए ऐसे निगमित निकाय के साथ करार करेगा ।

19. अग्रणी प्रबंधकों की नियुक्ति पर निर्बंधन:—किसी निर्गमन की दशा में अग्रणी मर्चेंट बैंककारों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकेगी :—

निर्गमन का आकार	अग्रणी मर्चेंट बैंककारों की संख्या
(क) पचास करोड़ रुपए से कम	दो
(ख) पचास करोड़ रुपए किंतु एक, सौ करोड़ रुपए से कम	तीन
(ग) एक सौ करोड़ रुपए किंतु दो सौ करोड़ रुपए से कम	चार
(घ) दो सौ करोड़ रुपए किंतु चार सौ करोड़ रुपए से कम	पांच
(ङ.) चार सौ करोड़ रुपए से ऊपर	पांच या जितने बोर्ड द्वारा करार पाए

20. अग्रणी प्रबंधकों के उत्तरदायित्व:—(1) कोई भी अग्रणी प्रबंधक किसी निर्गमन का प्रबंध करने या उससे सहयुक्त होने का तब तक करार नहीं करेगा जब तक कि निर्गमन मुख्य रूप से प्रकटीकरण, आबंटन और प्रतिदाय से संबंधित उसके उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिनिश्चित, आबटित और अवधारित नहीं कर दिए जाते और ऐसे उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण ऐसे निर्गमन को अभिदाय के लिए खोलने से कम से कम एक मास पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह कि जहां निर्गमन के एक से अधिक अग्रणी मर्चेंट बैंककार हैं वहां प्रत्येक ऐसे अग्रणी मर्चेंट बैंककार के उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप में सीमांकित किए जाएंगे और ऐसे उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण निर्गमन को अभिदाय के लिए खोलने से कम से कम एक मास पूर्व बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, और

(2) कोई भी अग्रणी मर्चेंट बैंककार किसी निगमित निकाय द्वारा किए गए निर्गमन का प्रबंध करने का करार नहीं करेगा यदि ऐसा निगमित निकाय अग्रणी मर्चेंट बैंककार का सहयुक्त है ।

21. अग्रणी मर्चेंट बैंककार रजिस्ट्रीकरण के बिना मर्चेंट बैंककार से सहयुक्त नहीं होगा:—कोई अग्रणी मर्चेंट बैंककार किसी निर्गमन के साथ सहयुक्त नहीं किया जाएगा यदि कोई मर्चेंट बैंककार जिसके पास प्रमाणपत्र नहीं है निर्गमन के साथ सहयुक्त है ।

22. निम्नांकन बाध्यताएं:—(1) प्रबंध किए जाने के लिए प्रत्येक निर्गमन की बाबत प्रवर्ग-1 के अधीन प्रमाणपत्र धारण करने वाला अग्रणी मर्चेंट बैंककार कुल निम्नांकन प्रतिबद्धता के पांच प्रतिशत या पचीस लाख रुपए की निम्नतम निम्नांकन बाध्यता, इनमें से जो भी कम हो, स्वीकार करेगा :

परन्तु यह कि यदि किसी विधि के उपबंधों के कारण अग्रणी प्रबंधक निम्नतम निम्नांकन बाध्यता स्वीकार करने मे असमर्थ है जैसा ऊपर कहा गया है तो अग्रणी मर्चेंट बैंककार उस निर्गमन से सहयुक्त किसी मर्चेंट बैंककार द्वारा उस सीमा तक निर्गमन को निम्नांकित करने के लिए व्यवस्था करेगा और ऐसी व्यवस्था के बारे में बोर्ड को सूचित करता रहेगा।

23. सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना:—अग्रणी मर्चेंट बैंककार जो प्रास्पेक्टस की विषयवस्तु या किसी निर्गमन की बाबत प्रस्थापना पत्र और उसमें अभिव्यक्त किए गए विचारों की युक्तियुक्तता का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी है अभिदाय के लिए निर्गमन खोलने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व बोर्ड को प्रारूप ग में सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

24. बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:—(1) निर्गमन के लिए उत्तरदायी अग्रणी प्रबंधक बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(i) निर्गमन की विशिष्टियां;

(ii) प्रारूप प्रास्पेक्टस या जहां वर्तमान शेयर-धारकों को प्रस्थापना है वहां प्रस्थापना का प्रारूप पत्र ;

(iii) विनिधानकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत शेयर-धारक हैं) को परिचालित किए जाने के लिए आशयित साहित्य ; और

(iv) किसी निर्गमन के प्रबंध से संबंधित अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हैं ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज, यथास्थिति, प्रारूप प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना पत्र फाइल करने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व कंपनी रजिस्ट्रार या प्रादेशिक स्टाक एक्सचेंजों या दोनों को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि विनिधानकर्ताओं की दी जाने वाली जानकारी की बाबत बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, प्रारूप प्रास्पेक्टस या प्रस्थापना पत्र में किए गए उपांतर या सुझाव, यदि कोई हों, उसमें सम्मिलित किए गए हैं ।

25. किसी निर्गमन के साथ अग्रणी प्रबंधक का सहयुक्त बना रहना:—किसी निर्गमन की बाबत प्रतिदायों या प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए उत्तरदायित्व का वचनबंध करने वाला अग्रणी प्रबंधक निर्गमन के साथ उस समय तक सहयुक्त रहेगा जब तक अभिदायकर्ताओं ने शेयर या डिबेंचर प्रमाणपत्र या अधिक आवेदन धन राशि प्राप्त नहीं कर ली हो :

परंतु यह कि जहां अग्रणी प्रबंधक से भिन्न व्यक्ति को किसी निर्गमन की बाबत प्रतिदाय या प्रतिभूतियों का आबंटन सौंपा जाता है वहां अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बना रहेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति अपेक्षित उत्तरदायित्वों का निर्वहन कंपनी अधिनियम और निगमित निकाय द्वारा स्टाक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचियन करार के उपबंधों के अनुसार करता है ।

26. शेयरों का अर्जन प्रतिषिद्ध है:—कोई भी मर्चेंट बैंककार या उसका कोई निदेशक भागीदार या मुख्य अधिकारी अपने लेखे या अपने सहयुक्तों या नातेदारों की मार्फत निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में कोई संव्यवहार ग्राहकों से या अन्यथा किसी वृत्तिक कर्तव्य के अनुक्रम के दौरान अपने द्वारा अभिप्राप्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर नहीं करेगा ।

27. बोर्ड को जानकारी:—प्रत्येक मर्चेंट बैंककार किसी निगमित निकाय की, जिसके निर्गमन का प्रबंध उस मर्चेंट बैंककार द्वारा किया जा रहा है, प्रतिभूतियों के अर्जन के लिए किसी संव्यवहार की पूर्ण विशिष्टियां ऐसा संव्यवहार करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

28. बोर्ड को प्रकटीकरण:—मर्चेंट बैंककार जैसे ही उससे अपेक्षा की जाए निम्नलिखित जानकारी बोर्ड को प्रकट करेगा, अर्थात्:—

(i) निर्गमन के प्रबंध की बाबत अपने उत्तरदयित्व,

(ii) पहले प्रस्तुत की गई जानकारी या विशिष्टियों में कोई परिवर्तन जो उसे दिए गए प्रमाणपत्र से संबंधित हैं,

(iii) उस निगमित निकाय के नाम जिसके निगमनों का उसने प्रबंध किया है या जिनके साथ वह सहयुक्त रहा है ।

(iv) विनियम 7 में यथाविनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा के भंग से संबंधित विशिष्टियां,

(v) किसी निगमन के, यथास्थिति, प्रबंधक निम्नांक परामर्शी या सलाहकार के रूप में अपने क्रिया-कलाप से संबंधित ।

अध्याय 4

निरीक्षण के लिए प्रक्रिया

29. बोर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार:—(1) बोर्ड उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए मर्चेंट बैंककार की लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन निम्नलिखित हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां अपेक्षित रीति से बनाई रखी जा रही हैं ,

(ख) कि अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है,

(ग) मर्चेंट बैंककार के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विषय पर विनिधानकर्ताओं, अन्य मर्चेंट बैंककारों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण करना, और

(घ) मर्चेंट बैंककार के कामकाज का प्रतिभूति कारबार के हित में या विनिधानकर्ताओं के हित में स्व-प्रेरणा से अन्वेषण करना ।

30. निरीक्षण के पूर्व सूचना:—(1) विनियम 29 के अधीन निरीक्षण करने के पूर्व बोर्ड मर्चेंट बैंककार को उस प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त सूचना देगा ।

(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधान कर्ताओं के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए वहां वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि मर्चेंट बैंककार के कामकाज ीक्षण ऐसी सूचना के बिना किया जाए ।

(3) निरीक्षण के अनुक्रम में वह मर्चेंट बैंककार जिसके विरुद्ध निरीक्षण किया जा रहा है विनियम 31 के अधीन यथा उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वाहन करने के लिए आबद्ध होगा ।

31. बोर्ड द्वारा निरीक्षण पर मर्चेंट बैंककार की बाध्यताएं:—मर्चेंट बैंककार के, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में ऐसी बहियां, लेखा और अन्य दस्तावेज निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पेश करे और मर्चेंट बैंककार के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित विवरण और जानकारी उसके समक्ष ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करे जिसकी निरीक्षण अधिकारी अपेक्षा करे ।

(2) मर्चेंट बैंककार ऐसे मर्चेंट बैंककार के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में परिसरों तक निरीक्षण प्राधिकारी को युक्तियुक्त पहुंच रखने की अनुज्ञा देगा और मर्चेंट बैंककार या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में ऐसी किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा का निरीक्षण करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा तथा दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी देगा जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं ।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के अनुक्रम में मर्चेंट बैंककार के किसी मुख्य अधिकारी, निदेशक, भागीदार, स्वत्वधारी और कर्मचारी की परीक्षा करने या कथन अभिलिखित करने का हकदार होगा ।

(4) मर्चेंट बैंककार के प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण के संबंध में वह सभी सहायता दे जिसके दिए जाने की मर्चेंट बैंककार से युक्ति-युक्त आशा की जा सकती है ।

32. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना:—निरीक्षण प्राधिकारी बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट यथासाध्य शीघ्र प्रस्तुत करेगा ।

33. मर्चेंट बैंककार को निष्कर्ष की सूचना—(1) बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इसके पूर्व कि निरीक्षण प्राधिकारी के निष्कर्षों पर बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है मर्चेंट बैंककार को सुने जाने का अवसर देने के लिए उसे निष्कर्षों की सूचना देगा।

(2) मर्चेंट बैंककार से स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, बोर्ड मर्चेंट बैंककार से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जो बोर्ड प्रतिभूति बाजार के हित में और अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के सम्यक् पालन के लिए उचित समझे ।

34. लेखा परीक्षक की नियुक्ति:—बोर्ड मर्चेंट बैंककार की लेखा बहियों या उसके कामकाज का अन्वेषण करने के लिए अर्ह लेखापरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगा ।

परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक को निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियां होंगी जो विनियम 29 में कथित हैं और विनियम 31 में मर्चेंट बैंककार की बाध्यताएं इस विनियम के अधीन अन्वेषण को लागू होंगी ।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "अर्ह लेखापरीक्षक" पद का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 में दिया गया है।

अध्याय 5

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

35. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व:—

(1) कोई मर्चेंट बैंककार जो—

(क) किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा जिनके अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र दिया गया है,

(ख) अधिनियम, नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शास्तियों का दायी होगा ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट शास्तियां या तो:—

(क) रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, या

(ख) रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण, हो सकेंगी ।

36. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन:—(1) मर्चेंट बैंककार के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की शक्ति वहां अधिरोपित की जा सकेगी जहां:

(i) मर्चेंट बैंककार अधिनियम, नियमों या विनियमों का अतिक्रमण करेगा,

(ii) मर्चेंट बैंककार,—

(क) मर्चेंट बैंककार के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए,

(ख) गलत या मिथ्या जानकारी देगा,

(ग) कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करेगा जिनकी बोर्ड अपेक्षा करे,

(घ) बोर्ड द्वारा संचालित किसी जांच में सहयोग नहीं करेगा ,

(iii) मर्चेंट बैंककार विनिधानकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में असफल रहेगा या बोर्ड को इस निमित्त समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहेगा,

(iv) मर्चेंट बैंककार छलसाधन या कीमत में धोखाधड़ी करने या बाजार मुट्ठी में करने के क्रियाकलाप में लगेगा,

(v) मर्चेंट बैंककार अवचार या अनुचित या कारबार रीति विरुद्ध या अवृत्तिक आचरण का दोषी है जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुसार नहीं है,

(vi) मर्चेंट बैंककार विनियम 7 में उपबंधों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा को बनाए रखने में असफल रहेगा,

(vii) मर्चेंट बैंककार फीस का संदाय करने में असफल रहेगा ,

(viii) मर्चेंट बैंककार रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अतिक्रमण करेगा,

(ix) मर्चेंट बैंककार अपनी बाध्यताओं को नहीं निभाएगा जैसा विनियम में विनिर्दिष्ट है ।

37. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण:—मर्चेंट बैंककार रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की शास्ति वहां अधिरोपित की जा सकेगी जहां—

(i) मर्चेंट बैंककार जानबूझकर छल साधन या कीमत में धोखाधड़ी या प्रतिभूति बाजार और विनिधान कर्ताओं के हित पर प्रभाव डालने वाले बाजार मुट्ठी में करने के क्रियाकलाप में लगेगा,

(ii) मर्चेंट बैंककार की वित्तीय स्थिति का इस सीमा तक क्षय हो जाएगा कि बोर्ड की यह राय है कि मर्चेंट बैंककार के रूप में उसका बने रहना विनिधानकर्ताओं के हित में नहीं है ;

(iii) मर्चेंट बैंककार कपट का दोषी है या किसी दांडिक अपराध का सिद्धदोष है ;

(iv) विनियम 36 में वर्णित प्रकृति के बारंबार व्यतिक्रमों की दशा में, परंतु यह तब जब बोर्ड रद्दकरण के लिए कारण लिखित रूप में दे ।

38. निलंबन और रद्दकरण का आदेश करने की रीति:—यथास्थिति, निलंबन या रद्दकरण की शास्ति का कोई भी आदेश विनियम 39 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् ही अधिरोपित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

39. निलंबन या रद्दकरण के पूर्व जांच करने की रीति:—(1) विनियम 38 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करेगा ।

(2) जांच अधिकारी मर्चेंट बैंककार को मर्चेंट बैंककार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या उसके कारबार के मुख्य स्थान पर सूचना जारी करेगा ।

(3) मर्चेंट बैंककार ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर जांच अधिकारी को दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य सहित, जिनका वह आश्रय लेता है या बोर्ड द्वारा मर्चेंट बैंककार से अपेक्षित किया गया है, उत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(4) जांच अधिकारी मर्चेंट बैंककार को उपविनियम (3) के अधीन दिए गए उसके उत्तर के समर्थन में निवेदन करने के लिए उसे समर्थ करने के लिए सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

(5) मर्चेंट बैंककार जांच अधिकारी के समक्ष या तो स्वयं या मर्चेंट बैंककार द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मार्फत हाजिर हो सकेगा ;

परन्तु यह कि किसी भी वकील या अधिवक्ता को जांच में मर्चेंट बैंककार का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां बोर्ड द्वारा कोई वकील या अधिवक्ता उप-विनियम (6) के अधीन उपस्थिति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है वहां किसी वकील या अधिवक्ता की मार्फत अपना मामला उपस्थित करना मर्चेंट बैंककार के लिए विधिपूर्ण होगा ।

(6) यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो जांच अधिकारी बोर्ड को उसका मामला उपस्थित करने के लिए कह सकेगा ।

(7) जांच अधिकारी सभी सुसंगत तथ्यों और मर्चेंट बैंककार द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिरोपित की जाने के लिए शास्ति की तथा उन आधारों की सिफारिश करेगा जिनके आधार पर अधिरोपित शास्ति न्यायसंगत है ।

40. कारण बताओ सूचना और आदेश :—(1) जांच अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर बोर्ड उस पर विचार करेगा और कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए ।

(2) मर्चेंट बैंककार कारण बताओ सूचना की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर बोर्ड को उत्तर भेजेगा ।

(3) बोर्ड कारण बताओ सूचना के उत्तर पर यदि प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किंतु उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति से तीस दिन की समाप्ति पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश स्वतः पूर्ण होगा और उसमें कथित निष्कर्षों के लिए जिनके अन्तर्गत उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति के लिए औचित्य होगा, कारण दिए जाएंगे ।

(5) बोर्ड उप-विनियम (3) के अधीन आदेश की एक प्रति मर्चेंट बैंककार को भेजेगा ।

41. मर्चेंट बैंककार के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन और रद्दकरण का प्रभाव:—(1) मर्चेंट बैंककार के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की तारीख से ही वह निलंबन की अवधि के दौरान मर्चेंट बैंककार के रूप में कोई क्रियाकलाप करना बंद कर देगा ।

(2) रद्दकरण की तारीख से ही मर्चेंट बैंककार मर्चेंट बैंककार के रूप में कोई क्रियाकलाप करना तुरंत प्रभावी रूप से बंद कर देगा ।

42. निलंबन के आदेश का प्रकाशन:—विनियम 40 के उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का आदेश बोर्ड द्वारा कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।

43. केन्द्रीय सरकार को अपील:—बोर्ड के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

अनुसूची-1—प्ररूप

प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

(विनियम 3)

प्रमाणपत्र दिए जाने, प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का नाम . . . . . .

प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया गया है I/II/III/IV

संपर्क नाम . . . . . .

टेलीफोन नं. . . . . .

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश ।

(1) आवेदकों को उचित समर्थन दस्तावेजों सहित पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) यह आवश्यक है कि यह आवेदन-पत्र विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब वह सभी प्रकार से पूर्ण हो।

(4) उत्तर अंकित किए जाने चाहिए।

(5) जिस जानकारी के अधिक ब्यौरे देना आवश्यक है वह प्रथक पत्रों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न किए जाएंगे ।

6. सभी हस्ताक्षर मूल होने चाहिएं ।

1. आवेदक की विशिष्टियां

3.1 आवेदक का नाम . . . .

1.2 (क) पता-कारबार का मुख्य स्थान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:—

पिन कोड़———— टेलीफोन नं.————

टेलेक्स नं.———— फैक्स नं.————

(ख) पत्र-व्यवहार के लिए पता :—

पिन कोड़———— टेलीफोन नं.————

टेलेक्स नं.———— फैक्स नं.————

(ग) शाखा कार्यालयों का पता:—

2. संगठन संरचना (संगठन चार्ट जिसमें मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप की कृत्यों संबंधी उत्तरदायित्व पृथक रुप से दर्शित किए जाएंगे, संलग्न किया जाएगा)

2.1 उद्देश्य (संक्षेप में दिए जाएंगे जिनके साथ संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद भी संलग्न किए जाएंगे)

2.2 निगमन की तारीख और स्थान

तारीख मास वर्ष स्थान

2.3 आवेदक की प्रास्थिति :—(अर्थात् लिमिटेड कंपनी-प्राइवेट/पब्लिक असीमित कंपनी भागीदारी, स्वत्वधारी, अन्य सूचीबद्ध हो, स्टाक एक्सचेंजों के नाम और नवीनतम शेयर कीमत दी जाएगी)

2.4 सभी निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारियों की विशिष्टियां :—

नाम	अर्हता	मर्चेंट बैंककारी और वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक की फर्म कंपनी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2.5 मुख्य प्रबंध कार्मिक की विशिष्टियां (मर्चेंट बैंककारी प्रभाग की विशिष्टियां)

नाम	अर्हता	मर्चेंट बैंककारी के प्रति विशेष निर्देश सहित अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कृत्यक क्षेत्र

2.6 सहयुक्त कंपनियों/समुत्थानों के नाम और क्रियाकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	किए गए क्रियाकलाप का प्रकार	संप्रवर्तक/निदेशक के हित की प्राप्ति	आवेदक कंपनी के हित की प्रकृति

3. कारबार संबंधी जानकारी

3.1 इतिहास, मुख्य घटनाएं और वर्तमान क्रियाकलाप

3.2 मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप में अनुभव के ब्यौरे

3.3 की गई अन्य वित्तीय सेवाओं में अनुभव:—

3.4 पिछले तीन वर्ष के दौरान किया गया कारबार

(क) निर्गमन प्रबन्ध

ग्राहक का नाम	निर्गमन का प्रकार	निर्गमन का आकार	निर्गमन वर्ष	कितनी बार अभिदान गया	अग्रणी-मर्चेंट किया बैंककार का नाम	कृत्यक उत्तर दायित्व
1	2	3	4	5	6	7

(ख) विनिधान सलाहकार

ग्राहक का नाम	वर्ष जिसके लिए सेवाएं की गई हैं	की गई सेवाओं की प्रकृति
(1)	(2)	(3) (4)

(ग) निम्नांकन

ग्राहक का नाम	निर्गमन वर्ष	निर्गमन का प्रकार और आकार	निम्नांकित रकम	निम्नांकित निर्गमन का प्रतिशत	क्या कोई न्यूनीकरण हुआ और रकम

(घ) संविभाग प्रबंध

स्कीम का नाम	स्कीम की विलक्षणताएं	ग्राहकों की संख्या	प्रबंधित निधियों की कुल मात्रा	औसत प्रत्यागम

(ङ) निर्गमन के परामर्शी सलाहकार

ग्राहक का नाम	निर्गमन वर्ष	निर्गमन का प्रकार और आकार	की गई सेवाओं की प्रकृति	अग्रणी मर्चेंट बैंककार(रों) का नाम

4. ग्राहकों संबंधी जानकारी

4.1 पते सहित मुख्य ग्राहकों की सूची

नाम	की गई सेवाएं

4.2 यदि आवेदक का मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप में पहली बार लगने का प्रस्ताव है तो मुख्य प्रबंध कार्मिक का अनुभव दे किया जाए।

मुख्य प्रबंध कर्मिक का नाम	अर्हता	पहले धारित पद	विशेष रूप से मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप में अनुभव

4.2 (क) यदि आवेदक का मर्चेंट बैंककारी क्रियाकलाप में पहली बार लगने का प्रस्ताव है तो कंपनी की कारबार योजना के साथ क्रियाकलाप की आशयित मात्रा और आय जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है विनिर्दिष्ट रूप से दी जानी चाहिए।

4.3 अवसंरचना के ब्योरे जिनके अन्तर्गत आवेदक के पास उपलब्ध संगणना सुविधाएं, ईक्विटी अनुसंधान और डाटा आधार हैं

4.4 आवेदक द्वारा की गई सेवाओं की प्रकृति से सुसंगत समझी गई कोई अन्य जानकारी।

5. वित्तीय जानकारी

5.1 पूंजी संरचना

(लाख रुपए में)

	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का पूर्विक वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
(क) समादत्त पूंजी			
(ख) खुली आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)			
(ग) कुल (क) + (ख)			

टिप्पण : 1. भागीदारी या स्वत्वधारी समुत्थानों की दशा में कृपया पूंजी घटा आहरण वर्णित करें।

2. भागीदारी या स्वत्वधारी समुत्थानों की दशा में कृपया भागीदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और मिल्कियत वर्णित करें।

5.2 संसाधनों का अभिनियोजन

(लाख रुपये में)

	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का पूर्विक वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
(क) स्थिर आस्तियां			
(ख) संयंत्र और मशीनरी तथा कार्यालय उपस्कर			
(ग) उत्कथित विनिधान			
(घ) अनुत्कथित विनिधान			
(ङ) नकदी में संपरिवर्तनीय आस्तियों के ब्योरे			
(च) अन्य			

(विनिधानों, सहयुक्त कंपनियों/फर्मों को दिए गए ऋण और उधार जहां संप्रवर्तकों/निदेशकों का हित है, के ब्योरे पृथक रूप से दिए जाएं।

5.3 आय के मुख्य स्रोत :

(लाख रुपए में)

	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का पूर्विक वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	निर्गमन के प्रतिशत के रूप में प्रभारित फीस

मर्चेंट बैंककार द्वारा प्रभारित फीस प्रत्येक निर्गमन के लिए अलग अलग हो सकती है कृपया वह सीमा वर्णित करें जिसके बीच फीस प्रभारित की गई है।

(क) निर्गमन प्रबंध
(ख) निम्नांकित
(ग) संविभाग प्रबंध
(घ) निर्गमन का परामर्शी सलाहकार
(ङ) विनिधान सलाहकार
(च) अन्य

5.4 शुद्ध लाभ

	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष का पूर्विक वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष

टिप्पण : कृपया तीन वर्ष के परीक्षित वार्षिक लेखा संलग्न करें। जहां अपरीक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं वहां कारण बताएं। यदि न्यूनतम शुद्ध मिल्कियत अपेक्षा पिछले परीक्षित वार्षिक लेखा के पश्चात् पूरी कर ली गई है तो किसी पश्चात्वर्ती तारीख को परीक्षित लेखा विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

5.6 मुख्य शेयरधारकों की सूची (जो आवेदक का 5% और ऊपर सीधे या सहयुक्तों के साथ धारण करते हों—केवल लिमिटेड कंपनियों को लागू है)

.....को शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल समादत्त पूंजी का प्रतिशत

5.7 आवेदक के मुख्य बैंककारों का नाम और पता

5.8 लेखापरीक्षकों का नाम और पता :

6. अन्य जानकारी

6.1 सभी तय हुए और लंबित विवाद :

विवाद की प्रकृति	पक्षकार का नाम	लंबित-तय

6.2 पिछले तीन वर्ष में आवेदक या किसी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा किन्हीं आर्थिक अपराधों में लिप्त होने का अभ्यारोपण।

घोषणा

यह घोषणा यथास्थिति, दो निदेशकों, दो भागीदारों या एक मात्र स्वत्वधारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

मैं/हम इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। मैं/हम वारंटी देता हूं/देते हैं कि मैं/हम ने ऊपर प्रश्नों के सत्य और पूर्ण उत्तर दिए हैं और सभी जानकारी दी है जो मेरे/हमारे रजिट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त रूप से सुसंगत समझी जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

(आवेदक का नाम के लिए और उसकी ओर से)

निदेशक/भागीदार या एकमात्र स्वत्वधारी निदेशक/भागीदार

स्पष्ट अक्षरों में नाम	स्पष्ट अक्षरों में नाम
---	---
तारीख	तारीख

प्ररूप ख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

(विनियम 8)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

I. बोर्ड, उसके द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा प्रवर्ग I*/II*/III*/IV* में मर्चेंट बैंककार के रूप में .....को नियमों में शर्तों के अधीन रहते हुए और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित क्रियाकलाप करने का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देता है :—

*1. किसी निर्गमन का प्रबंध जिसके अन्तर्गत प्रास्पेक्टस तैयार करना, निर्गमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना, वित्तपोषण संरचना अवधारित करना, वित्तदाताओं से संबंध बनाना, अन्तिम आबंटन और अधिक आवेदन धनराशि का प्रतिदाय है।

*2. विनिधन सलाहकार

*3. निर्गमनों का निम्नांकन

*4. संविधान प्रबंध सेवाएं

*5. किसी निर्गमन के प्रबंधक, परामर्शी या सलाहकार जिनके अन्तर्गत निर्गमित सलाहकार सेवाएं हैं।

*6. परामर्शी या सलाहकार

*जो लागू न हो उसे काट दें।

II. मर्चेंट बैंककार के लिए रजिस्ट्रीकरण कोड वा. बै/ / / / / / हैं।

III. यह प्रमाणपत्र ....से ....तक विधिमान्य होगा और जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में विनिर्दिष्ट है नवीकृत किया जा सकेगा।

स्थान :
तारीख

आदेश द्वारा
ह.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए
और उसकी ओर से

अनुसूची 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992
(विनियम 12)

फीस

(1) प्रत्येक मर्चेंट बैंककार इस अनुसूची के पैरा 3 और (4) के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेगा और जैसे दी गई है :

(क) प्रवर्ग-I मर्चेंट बैंककार:—आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाले पहले दो वर्ष के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए एक लाख रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा ।

(ख) प्रवर्ग II मर्चेंट बैंककार:—आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाले पहले दो वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 50,000 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा ।

(ग) प्रवर्ग-III मर्चेंट बैंककार:—आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाले पहले दो वर्ष के लिए एक लाख रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 25,000 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा ।

(घ) प्रवर्ग-IV मर्चेंट बैंककार:—आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाले पहले दो वर्ष के लिए 5,000 रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और पतत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 1,000 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा ।

(2) नवीकरण फीस का मर्चेंट बैंककार द्वारा संदाय किया जाएगा ।

(क) प्रवर्ग-I मर्चेंट बैंककार:—प्रत्येक नवीकरण की तारीख से पहले दो वर्ष के लिए एक लाख रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए उसके रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 20,000/- रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा,

(ख) प्रवर्ग-II मर्चेंट बैंककार:—प्रत्येक नवीकरण की तारीख से पहले दो वर्ष के लिए 75000 रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए उसके रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 10,000 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा,

(ग) प्रवर्ग-III मर्चेंट बैंककार:—प्रत्येक नवीकरण की तारीख से पहले दो वर्ष के लिए 50,000 रुपए की राशि का प्रति वर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए उसके रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 5000 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा,

(घ) प्रवर्ग-IV मर्चेंट बैंककार:—प्रत्येक नवीकरण की तारीख से पहले दो वर्ष के लिए 5,000 रुपए की राशि का प्रतिवर्ष संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् तीसरे वर्ष के लिए उसके रजिस्ट्रीकरण को प्रवृत्त रखने के लिए 2500 रुपए की राशि का संदाय किया जाएगा ।

(3) ऊपर पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :—

(क) पहली किस्त का संदाय विनियम 8 के अधीन बोर्ड से सूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाना है ।

(ख) पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय जिनके अन्तर्गत नवीकरण फीस है रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक वर्ष के,

जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने की तारीख से आरंभ होगा, 12 मास की समाप्ति पर या उसके पूर्व संदाय किया जाएगा ।

(4) ऊपर पैरा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट फीस मुम्बई में "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में चैक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत द्वारा संदेय होगी ।

अनुसूची 3

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

मर्चेंट बैंककारों के लिए आचार संहिता

(विनियम 13)

1. मर्चेंट बैंककार अपने कारबार के संचालन में अपने ग्राहकों और अन्य मर्चेंट बैंककारों के साथ ईमानदारी और औचित्य के उच्च मानकों का पालन करेगा ।

2. मर्चेंट बैंककार सभी समयों पर उच्चस्तर की सेवा देगा, सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगा, उचित सावधानी सुनिश्चित करेगा और स्वस्थ वृत्तिक विवेकबुद्धि का प्रयोग करेगा । जहां कहीं आवश्यक हो, वह पक्षपात रहित सेवाएं देते हुए ग्राहकों को कर्तव्यों और हितों के विरोध के संभव स्रोत प्रकट करेगा ।

3. मर्चेंट बैंककार कोई ऐसा कथन नहीं करेगा या किसी ऐसे कार्य, आचरण या अनुचित प्रतियोगिता का संसर्गी नहीं होगा जो किसी अन्य कार्य के लिए स्पर्धा या उसे निष्पादित करते हुए अन्य मर्चेंट बैंककारों के हितों के लिए अपहानिकर होना संभाव्य है या जिससे ऐसे अन्य मर्चेंट बैंककारों को मर्चेंट बैंककार के संबंध में अहितकर स्थिति में डालना संभाव्य है ।

4. कोई मर्चेंट बैंककार ग्राहक से अर्हता या कुछ सेवाएं देने की क्षमता या अन्य ग्राहकों को दी गई सेवाओं की बाबत अपनी उपलब्धियों की बाबत बढ़ा-चढ़ा कर कोई कथन, चाहे मौखिक या लिखित नहीं करेगा ।

5. मर्चेंट बैंककार सदैव —

(क) ग्राहकों की आवश्यकताओं और पर्यावरण तथा स्वयं अपने वृत्तिक कौशल को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव सलाह देने का प्रयास करेगा, और

(ख) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी वृत्तिक व्यवहार तत्पर, दक्ष और लागत प्रभावी रीति से किए जाते हैं ।

6. मर्चेंट बैंककार—

(क) अपने ग्राहक के बारे में कोई गोपनीय जानकारी, जिसका उसे ज्ञान हो गया है अन्य ग्राहकों, प्रेस या किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा, और

(ख) बोर्ड को जैसा विनियमों के अधीन अपेक्षित है और ग्राहक कंपनी के निदेशक बोर्ड को भी प्रकटीकरण किए बिना किसी ग्राहक कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार नहीं करेगा ।

7. मर्चेंट बैंककार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि—

(क) विनिधानकर्ताओं को कोई भ्रामक या बढ़ाए-चढ़ाए दावे किए बिना सत्य और पर्याप्त जानकारी दी जाती है और इसके पूर्व कि उनके द्वारा कोई विनिधान विनिश्चय किया जाता है उन्हें होने वाली जोखिमों से अवगत करा दिया जाता है ।

(ख) प्रास्पेक्टस, ज्ञापन और संबंधित इतिहास की प्रतियां विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध करा दी जाती हैं ।

(ग) प्रतिभूतियों के उचित आबंटन और आवेदन धनराशि के अविलंब प्रतिदाय के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं, और

(घ) विनिधानकर्ताओं से शिकायतों पर पर्याप्त कार्यवाही की जाती है ।

8. मर्चेंट बैंककार साधारणतया और विशिष्टतया किन्हीं प्रतिभूतियों के निर्गमन की बाबत—

(क) छद्म बाजार के सृजन में भागीदार नहीं होंगे,

(ख) कीमत उतार-चढ़ाव या छल साधन में भागीदार नहीं होंगे,

(ग) दलालों, स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों और पूंजी बाजार में अन्य सट्टेबाजों को कीमत संवेदनशील जानकारी देने में भागीदार नहीं होंगे या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो आचारविरुद्ध और विनिधानकर्ताओं के प्रति अनुचित है ।

9. मर्चेंट बैंककार अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों का जो मर्चेंट बैंककार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप को लागू हो और उनसे सुसंगत हो, पालन करेगा ।

जी. वी. रामकृष्ण, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Bombay, the 22nd December, 1992

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MERCHANT BANKERS) REGULATIONS, 1992

No. LE/11112/92.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regultaions may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "enquiry officer" means any Officer of the Board, or any other person, having experience in dealing with the problems relating to the securities market, who is authorised by the Board under Chapter V;

(b) "form" means a form specified in Schedule I;

(c) "inspecting authority" means one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under Chapter IV;

(d) "principal officer" means—

(i) proprietor, in the case of a proprietary concern,

(ii) partner, in the case of a partnership firm;

(iii) director, in the case of a body corporate who is responsible for the activities of the merchant banker.

(e) "rules" means Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Rules, 1992;

(f) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act and the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules as the case may be.

Chapter II

REGISTRATION OF MERCHANT BANKERS

3. Application for grant of certificate.—(1) An application by a person for grant of a certificate shall be made to the Board in Form A.

(2) The application under sub-regulation (1) shall be made for any one of the following categories of the merchant bankers, namely :—

(a) Category I, that is—

(i) to carry on any activity of the issue management, which will inter-alia consist of preparation of prospectus and other information relating to the issue, determining financial structure, tie up of financiers and final allotment and refund of the subscription; and

(ii) to act as adviser consultant manager, underwriter, portfolio manager;

(b) Category II, that is to act as adviser, consultant, co-manager, underwriter, protfolio manager;

(c) Category III, that is to act as underwriter, adviser, consultant to an issue;

(d) Category IV, that is to act only as adviser or consultant to an issue.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) any application made by a merchant banker prior to coming into force of these regulations containing such particulars or as near thereto as mentioned in Form A shall be treated as an application made in pursuance of sub-regulation (1) and dealt with accordingly.

4. Application to conform to the requirements.—Subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 3, any application, which is not complete in all respects and does not conform to the instructions specified in the form, shall be rejected :

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to remove within the time specified such objections as may be indicated by the Board.

5. Furnishing of information, clarification and personal representation.—(1) The Board may require the applicant to furnish further information or clarification regarding matters relevant to the activity of a merchant banker for the purpose of disposal of the application.

(2) The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Board for personal representation.

6. Consideration of application.—The Board shall take into account for considering the grant of a certificate, all matters which are relevant to the activities relating to merchant banker and in particular the applicant complies with the following requirements, namely :—

(a) the applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipments and manpower to effectively discharge his activities;

(b) the applicant has in his employment minimum of two persons who have the experience to conduct the business of merchant banker;

(c) a person directly or indirectly connected with the applicant has not been granted registration by the Board;

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "directly or indirectly connected" means any person being the associate, subsidiary or interconnected or group company of the applicant in case of the applicant being a body corporate.

(d) The applicant fulfils the capital adequacy requirement specified in regulation 7;

(e) The applicant, his partner, director or principal officer is not involved in any litigation connected with the securities market which has an adverse bearing on the business of the applicant;

(f) The applicant, his director, partner or principal officer has not at any time been convicted for any offence involving moral turpitude or has been found guilty of any economic offence.

(g) the applicant has the professional qualification from an institution recognised by the Government in finance, law or business management.

(h) grant of certificate to the applicant is in the interest of investors.

7. Capital Adequacy Requirement.—(1) The capital adequacy requirement referred to in sub-regulation (d) of regulation 6 shall not be less than the net worth of the person making the application for grant of registration.

(2) For the purposes of sub-regulation (1), the networth shall be as follows, namely :—

Category—Minimum Amount
Category I—Rs. 1,00,00,000
Category II—Rs. 50,00,000
Category III—Rs. 20,00,000
Category IV—Nil.

Explanation.—For the purposes of this regulation "networth" means in the case of an applicant which is a partnership firm or a body corporate, the value of the capital contributed to the business of such firm or the paid up capital of such body corporate plus free reserves as the case may be at the time of making application under sub-regulation (1) of regulation 3.

8. Procedure for registration.—(1) The Board on being satisfied that the applicant is eligible shall grant a certificate in Form B and send an intimation to the applicant mentioning the category for which the Board has granted certificate.

(2)(i) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a certificate has been granted for a category lower than for what has been applied for, the applicant, may make an application to the Board at any time after the expiry of one year from the date of grant of such registration.

(ii) The Board may consider an application made under clause (i) and grant a certificate for higher category.

(3) An application made under clause (i) of sub-regulation (2) shall be considered in the same manner as an application made under regulation 3.

(4) On the grant of a certificate the applicant shall be liable to pay the fees for the category for which the registration is granted in accordance with Schedule II :

Provided that the amount of fees payable shall be proportionately reduced by the amount of fees already paid by the merchant banker for the year in which the registration is granted in the higher category.

9. Renewal of certificate.—(1) Three months before the expiry of the period of certificate, the merchant banker, may if he so desires, make an application for renewal in form A.

(2) The application for renewal, under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as if it were a fresh application for grant of a certificate.

(3) The Board on being satisfied that the applicant is eligible for renewal of certificate shall grant a certificate in Form B and send an intimation to the applicant mentioning the category for which the Board has granted certificate.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a certificate has been granted for a category lower than for what has been applied for, the applicant, may make an application to the Board at any time after the expiry of one year from the date of grant of such registration.

(5) An application made under sub-regulation (4) shall be considered in the same manner as an application made under regulation 3.

(6) On the grant of a certificate the applicant shall be liable to pay the fees for the category for which the registration is granted in accordance with Schedule II;

Provided that the amount of fees payable shall be proportionately reduced by the amount of fees already paid by the merchant banker for the year in which the registration is granted in the higher category.

10. Procedure where registration is not granted.—(1) Where an application for grant of a certificate under regulation 3 or of reewal under regulation 9, does not satisfy the criteria set out in regulation 6, the Board may reject the application after giving an opportunity of being heard.

(2) The refusal to grant registration shall be communicated by the Board within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) Any applicant may, being aggrieved by the decision of the Board, under sub-regulation (1), apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation to the Board for reconsideration of its decision.

(4) The Board shall reconsider an application made under sub-regulation (3) and communicate its decision as soon as possible in writing to the applicant.

11. Effect of refusal to grant certificate.—Any merchant banker whose application for a certificate has been refused by the Board shall on and from the date of the receipt of the communication under sub-regulation (2) of regulation 10 cease to carry on any activity as merchant banker.

12. Payment of fees and the consequences failure to pay fees.—(1) Every applicant eligible for grant of a certificate shall pay such fees in such manner and within the period specified in Schedule II.

(2) Where a merchant banker fails to pay the Annual fees as provided in sub-regulation (1), read with Schedule II, the Board may suspend the registration certificate, whereupon the merchant banker shall cease to carry on any activity as a merchant banker for the period during which the suspension subsists.

Chapter III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

13. Code of Conduct.—Every merchant banker shall abide by the Code of conduct as specified in Schedule III.

14. Maintenance of books of accounts, records etc.—(1) Every merchant banker shall keep and maintain the following books of accounts, records and documents, namely :—

(a) a copy of balance sheet as at the end of the each accounting period;

(b) a copy of profit and loss account for that period;

(c) a copy of the auditor's report on the accounts for that period; and

(d) a statement of financial position.

(2) Every merchant banker shall intimate to the Board the place where the books of accounts, records and documents are maintained.

(3) Without prejudice to sub-regulation (1), every merchant banker shall, after the end of each accounting period furnish to the Board copies of the balance sheet, profit and loss account and such other documents for any other preceding five accounting years when required by the Board.

15. Submission of Half-yearly results.—Every merchant banker shall furnish to the Board half-yearly unaudited financial results when required by the Board with a view to monitor the capital adequacy of the merchant banker.

16. Maintenance of Books of account, records and other documents.—The merchant banker shall preserve the books of accounts and other records and documents maintained under regulation 14 for a minimum period of five years.

17. Report on steps taken on Auditor's report.—Every merchant banker shall, within two months from the date of the auditors' report take steps to rectify the deficiencies, made out in the auditor's report.

18. Appointment of lead merchant bankers.—All issues should be managed by atleast one merchant banker functioning as a lead merchant banker:

Provided that, in an issue of offer of rights to the existing members with or without the right of renunciation the amount of the issue of the body corporate does not exceed rupees fifty lakhs, the appointment of a lead merchant banker shall not be essential.

(2) Every lead merchant banker shall before taking up the assignment relating to an issue, enter into an agreement with such body corporate setting out their mutual rights, liabilities and obligations relating to such issue and in particular to disclosures, allotment and refund.

19. Restriction on appointment of lead managers.—The number of lead merchant bankers may not, exceed in case of any issue of—

Size of issue	Number of lead merchant bankers
(a) Less than rupees fifty crores	—two
(b) Rupees fifty crores but less than rupees one hundred crores	—three
(c) Rupees one hundred crores but less than two hundred crores	—four
(d) Rupees two hundred crores but less than rupees four hundred crores	—five
(e) Above rupees four hundred crores	—Five or more as may be agreed by the Board.

20. Responsibilities of lead managers.—(1) No lead manager shall agree to manage or be associated with any issue unless his responsibilities relating to issue mainly, those of disclosures, allotment and refund are clearly defined, allocated and determined and a statement specifying such responsibilities is furnished to the Board atleast one month before the opening of the issue for subscription :

Provided that, where there are more than one lead merchant bankers to the issue the responsibilities of each of such lead merchant banker shall clearly be demarcated and a statement specifying such responsibilities shall be furnished to the Board at least one month before the opening of the issue for subscription.

(2) No lead merchant banker shall, agree to manage the issue made by any body corporate, if such body corporate is an associate of the lead merchant banker.

21. Lead merchant banker not to associate with a merchant banker without registration.—A lead merchant banker shall not be associated with any issue if a merchant banker who is not holding a certificate is associated with the issue.

22. Underwriting obligations.—In respect of every issue to be managed, the lead merchant banker holding a certificate under Category I shall accept a minimum Underwriting obligation of five per cent of the total underwriting commitment or rupees twenty-five lacs, whichever is less :

Provided that, if the lead merchant banker is unable to accept the minimum underwriting obligation, that lead merchant banker shall make arrangement for having the issue underwritten to that extent by a merchant banker associated with the issue and shall keep the Board informed of such arrangement.

23. Submission of due diligence certificate.—The lead merchant banker, who is responsible for verification of the contents of a prospectus or the Letter of Offer in respect of an issue and the reasonableness of the views expressed therein, shall submit to the Board atleast two weeks prior to the opening of the issue for subscription, a due diligence certificate in Form C.

24. Document to be furnished to the Board.—(1) The lead manager responsible for the issue shall furnish to the Board the following documents, namely :—

(i) particulars of the issue ;

(ii) draft prospectus or where there is an offer to the existing shareholders, the draft letter of offer ;

(iii) any other literature intended to be circulated to the investors, including the shareholders; and

(iv) such other documents relating to prospectus or letter of offer as the case may be.

(2) The documents referred to in sub-regulation (1) shall be furnished atleast two weeks prior to date of filing of the draft prospectus or the letter of offer as the case may be with the Registrar of Companies or with the Regional Stock Exchanges, or with both.

(3) The lead manager shall ensure that the modifications and suggestions, if any, made by the Board on the draft prospectus or the Letter of Offer was the case may be, with respect to information to be given to the investors are incorporated therein.

25. Continuance of association of lead manager with an issue :—The lead manager undertaking the responsibility for refunds or allotment of securities in respect of any issue shall continue to be associated with the issue till the subscribers have received the share or debenture certificates or feund of excess application money :

Provided that where a person other than the lead manager is entrusted with the refund or allotment of securities in respect of any issue, the lead manager shall continue to be responsible for ensuring that such other person discharges the requisite responsibilities in accordance with the provisions of the Companies Act and the listing agreement entered into by the body corporate with the stock exchange.

26. Acquisition of shares prohibited.—No merchant banker or any of its directors, partner or manager or principal officer shall either on their respective accounts or through their associates or relatives entered into any transaction in securities of bodies corporate on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them during the course of any professional assignment either from the clients or otherwise.

27. Information to the Board.—Every merchant banker shall submit to the Board complete particulars of any transaction for acquisition of securities of any body corporate whose issue is being managed by that merchant banker within fifteen days from the date of entering into such transaction.

28. Disclosures to the Board.—A merchant banker shall disclose to the Board as and when required, the following information, namely :—

(i) his responsibilities with regard to the management of the issue ;

(ii) any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the certificate granted to it ;

(iii) the names of the body corporate whose issues he has managed or has been associated with;

(iv) the particulars relating to the breach of the capital adequacy requirement as specified in regulation 7.

(v) relating to his activities as a manager, underwriter, consultant or adviser to an issue, as the case may be.

CHAPTER IV

PROCEDURE FOR INSPECTION

29. Board's right to inspect.—(1) The Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents of the merchant banker for any of the purposes specified in sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be follows namely :—

(a) to ensure that the books of account are being maintained in the manner required ;

(b) that the provisions of the Act, rules, regulations are being complied with ;

(c) to investigate into the complaints received from investors, other merchant bankers or any other person

on any matter having a bearing on the activities of the merchant banker ; and

(d) to investigate suo-moto in the interest of securities business or investors interest into the affairs of the merchant banker.

30. Notice before inspection.—(1) Before undertaking an inspection under regulation 29 the Board shall give a reasonable notice to the merchant banker for that purpose.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may be an order in writing direct that the inspection of the affairs of the merchant banker be taken up without such notice.

(3) During the course of inspection the merchant banker against whom an inspection is being carried out, shall be bound to discharge his obligations as provided under regulation 31.

31. Obligations of merchant banker on inspection by the Board.—(1) It shall be the duty of every director, proprietor partner, officer and employee of the merchant banker, who is being inspected, to produce to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with the statements and information relating to his activities as merchant banker within such time as the inspecting authority may require.

(2) The merchant banker shall allow the inspecting authority to have reasonable access to the premises occupied by such merchant banker or by any other person on his behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the merchant banker or any such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purpose of the inspection.

(3) The inspecting authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record statement of any principal officer, director, partner, proprietor and employee of the mechant banker.

(4) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer or employee of the merchant banker to give to the inspecting authority all assistance in connection with inspection which the merchant banker may reasonably be expected to give.

32. Submission of Report to the Board.—The inspecting authority shall, as soon as may be possible submit, an inspection report to the Board.

33. Communication of findings etc. to the merchant banker.—(1) The Board shall after consideration of the inspection report communicate the findings to the merchant banker to give him an opportunity of being heard before any action is taken by the Board on the findings of the inspecting authority.

(2) On receipt of the explanation if any, from the merchant banker, the Board may call upon the merchant banker to take such measures as the Board may deem fit in the interest of the securities market and for due compliance with the provisions of the Act, rules and regulations.

34. Appointment of Auditor.—The Board may appoint a qualified auditor to investigate into the books of account or the affairs of the merchant banker :

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as are mentioned in regulation 29 and the obligations of the merchant banker in regulation 31 shall be applicable to the investigation under this regulation.

Explanation—For the purpose of this regulation the expression "qualified auditor" shall have the same meaning as given in Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

CHAPTER V

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

35. Liability for action in case of default.—(1) A merchant banker who—

(a) fails to comply with any conditions subject to which certificate has been granted ;

(b) contravenes any of the provisions of the Act, rules or regulations ;

shall be liable to any of the penalties specified in sub-regulation (2).

(2) The penalties referred to in sub-regulation (1) may be either :—

(a) suspension of registration ;

or

(b) cancellation of registration.

36. Suspension of registration.—(1) A penalty of suspension of registration of a merchant banker may be imposed where—

(i) the merchant banker violates the provisions of the Act, rules or regulations ;

(ii) the merchant banker—

(a) fails to furnish any information relating to his activities as merchant banker as required by the Board ;

(b) furnishes wrong or false information ;

(c) does not submit periodical returns, as required by the Board ;

(d) does not co-operate in any enquiry conducted by the Board ;

(iii) the merchant banker fails to resolve the complaints of the investors or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf ;

(iv) the merchant banker indulges in manipulating or price rigging or cornering activities ;

(v) the merchant banker is guilty of misconduct or improper or unbusinesslike or unprofessional conduct which is not in accordance with the Code of Conduct specified in Schedule III ;

(vi) the merchant banker fails to maintain the capital adequacy requirement in accordance with the provisions of regulation 7.

(vii) the merchant banker fails to pay the fees;

(viii) the merchant banker violates the conditions of registration;

(xi) the merchant banker does not carry out his obligations as specified in the regulation.

37. cancellation of registration.—A penalty of cancellation of registration of a merchant banker may be imposed where :—

(i) the merchant banker indulges in deliberate manipulation or price rigging or cornering activities affecting the securities market and the investors interest;

(ii) the financial position of the merchant banker deteriorates to such an extent that the Board is of the opinion that his continuance as merchant banker is not in the interest of investors.

(iii) the merchant banker is guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence.

(iv) in case of repeated default of the nature mentioned in regulation 36 provided that the Board furnishes reasons for cancellation in writing.

38. Manner of making order of suspension or cancellation.—No order of penalty of suspension or cancellation as the case may be, shall be imposed except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in regulation, 39.

39. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation.—(1) For the purpose of holding an enquiry under regulation 38 the Board may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue to the merchant banker a notice at the registered office or the principal place of business of the merchant banker.

(3) The merchant banker may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply together with copies of documentary or other evidence relied on by him or sought by the Board from the merchant banker.

(4) The enquiry officer shall, give a reasonable opportunity of hearing to the merchant banker to enable him to make submissions in support of his reply made under sub-regulation (3).

(5) Before the enquiry officer, the merchant banker may either appear in person or through any person duly authorised by the merchant banker :

Provided that no lawyer or advocate shall be permitted to represent the merchant banker at the enquiry;

Provided further that where a lawyer or an advocate has been appointed by the Board as a presenting officer under sub-regulation (6), it shall be lawful for the merchant banker to present its case through a lawyer or advocate.

(6) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Board to appoint a presenting officer to present its case.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the merchant banker, submit a report to the Board and recommand the penalty to be imposed as also the grounds on the basis of which the proposed penalty is justified.

40. Show-cause notice and order.—(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Board shall consider the same and issue a show-cause notice as to why the penalty as proposed by the enquiry officer should not be imposed.

(2) The merchant banker shall within twenty-one days of the date of the receipt of the show-cause send a reply to the Board.

(2) The Board after considering the reply to the show-cause notice, if received, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, if any, pass such order as it deems fit.

(4) Every order passed under sub-regulation (3) shall be self-contained and give reasons for the conclusions stated therein including justification of the penalty imposed by that order.

(5) The Board shall send a copy of the order under sub-regulation (3) to the merchant banker.

41. Effect of suspension and cancellation of registration of merchant banker.—(1) On and from the date of the suspension of the merchant banker he shall cease to carry on any activity as a merchant banker during the period of suspension.

(2) On and from the date of cancellation the merchant banker shall with immediate effect cease to carry on any activity as a merchant banker.

42. Publication of order of suspension.—The order of suspension or cancellation of certificate passed under sub-regulation (3) of regulation 40 shall be published in atleast two daily newspapers by the Board.

43. Appeal to the Central Government.—Any person aggrieved by an order of the Board may prefer an appeal to the Central Government.

SCHEDULE I — FORMS

FORM A

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MERCHANT BANKERS) REGULATIONS, 1992

(regulation 3)

APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE
RENEWAL OF CERTIFICATE
NAME OF APPLICANT

CATEGORY APPLIED FOR : I-/II/III/IV

CONTACT NAME ——————————

TELEPHONE NO. : ——————————

INSTRUCTION FOR FILLING UP FORM :—

1. Applicants must submit a completed application form together with appropriate supporting document to the Board.

2. It is important that this application form should be filled in accordance with the regulations.

3. Application for registration will be considered provided it is cmplete in all respects.

4. Answers must be typed.

5. Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

6. All signatures must be original.

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the applicant :

1.2(A) Address—Principal Place of business/Registered Office of the Company.

Pin Code :———— Telephone No.————

Telex No. ———— Fax No. ————

(B) Address for Correspondence :

Pin Code :———— Telephone No.————

Telex No. :———— Fax No.————

(C) Address of Branch Offices :

2. ORGANISATION STRUCTURE (Organisation Chart separately showing functional responsibilities of Merchant Banking activities to be enclosed).

2.1 Objectives :— (To be given in brief alongwith copy of Memorandom and Articles of Association).

2.2 Date and Place of Incorporation :

Day Month Year Place

2.3 Status of the Applicant : (e.g. limited company—Private/Public, unlimited company, partnership, proprietary, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given).

2.4 Particulars of all Directors/Partners/Proprietors :—

Name	Qualification	Experience in Merchant Banking & Financial Services related areas	Share in applicants firm company	Directorship in other companies

2.5 Particulars of Key Management Personnel : (Particulars of merchant banking division)

Name	Qualification	Experience with particular reference to merchant banking	Date of appointment	Functional areas

2.6 Name and activities of associate companies/concerns

Name of company/Firm	Address	Type of activity handled	Nature of interest of Promoter/ Director	Nature of interest of applicant company

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 History, major events and present activities:

3.2 Details of Experience in Merchant Banking activities.

3.3 Experience in other financial services rendered

2.5 Particulars of Key Management Personnel: (Particulars of merchant banking division)

Name	Qualification	Experience with particular reference to merchant banking	Date of appointment	Functional areas

2.6 Name and activities of associate companies/concerns

Name of company/Firm	Address	Type of activity handled	Natue of interest of Promoter/Director	Nature of interest of appllicant company

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 History, major events and present activities:

3.2 Details of Experience in Merchant Banking activities.

3.3 Experience in other financial services rendered:—

3.4 Business handled during the last three years:

(a) Issue Management

Name of client	Type of Issue	Size of Issue	Year of Issue	Times subscribed	Name of load merchant banker	Functional responsibilities
1	2	3	4	5	6	7

(b) Investment Adviser

Name of Client	Year for which services are rendered	Nature of services rendered

(c) Underwriting

Name of client	Year of Issue	Type and Size of Issue	Amount under-written	%age of Issue underwritten	Whether there was any development and amount

(d) Portfolio Management

Name of Scheme	Features of the Scheme	Number of Clients	Total Volume of Funds Managed	Average Returns

(e) Consultants/Advisers to the Issue

Name of the client	Year of Issue	Type and size of Issue	Nature of services rendered	Name of lead Merchant banker(s)

4. CLIENT INFORMATION

4.1 List of major clients with address

Name	Services Rendered

4.2 If the applicant is proposing to engage in Merchant Banking activities for the first time, the experience of key management personnel to be indicated.

Name of Key Management Personnel	Qualification	Previous Positions held	Experience particularly in respect of merchant banking activities

4.2(a) If the applicant is proposing to engage in Merchant Banking activities for the first time, business plan of the company with projected volume of activities and income for which registration is sought to be specifically given.

4.3 Details of infrastructure including computing facilities, equity research and data base available with the applicant.

4.4 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

5. FINANCIAL INFORMATION

5.1 Capital Structure (Rs. in lakhs)

	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
(a) Paid-up Capital			
(b) Free reserves (excluding revaluation reserves)			
(c) Total (a)+(b)			

Note.—1. In case of partnership or proprietary concerns, please indicate capital minus drawings.

2. In case of partnership or proprietary concerns, please indicate the financial position, means and networth of the partners.

5.2 Deployment of Resources (Rs. in lakhs)

	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
(a) Fixed Assets			
(b) Plant & Machinery and Office Equipment			
(c) Quoted Investments			
(d) Unquoted Investments			
(e) Details of Liquid Assets			
(f) Others (Details of Investments, Loans & Advances made to Associate Companies/firms where Promoters Directors have an interest be separately given).			

5.3 Major Sources of Income : (Rs. in lakhs)

	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	*Fees charged as % of issue
(a) Issue Management			
(b) Underwriting			
(c) Portfolio Management			
(d) Consultant/Adviser to Issue			
(e) Investment Adviser			
(f) Others			

*As fees charged by the Merchant banker may vary from issue to issue, please indicate range within which fees have been charged.

5.4 Net Profit

	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year

5.5 Dividend

	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
Amount			
Percentage			

Note.—Please enclose three years of audited annual accounts. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum net worth requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts of a later date also be submitted.

5.6 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates—applicable only to limited companies).

Shareholding as on:

Name of shareholder	No. of Shares held	%age of total paid up capital of the company.

5.7 Name and Address of the Principal bankers of the applicant.

5.8 Name and address of the Auditors.

6. Other Information

6.1 Details of all settled and pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

6.2 Indictment of involvement in any economic offences by the applicant or any of the Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

DECLARATION

This declaration must be signed by two directors, two partners or the sole proprietor as the case may be

I/We hereby apply for registration.

I/We warrant that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my registration.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

For and on behalf of———————————
(Name of Applicant)

Director/Partner or sole Proprietor	Director/Partner
Name in Block Letters	Name in Block Letters.
Date	Date

FORM B

Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992
(Regulation 8)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of secton 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, read wih the rules and regulations made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to——————————————————as a merchant banker in Category I/II/III/IV subject to the conditions in the rules and in accordance with the regulations to carry out the following activities:

*1. Management of any issue, including preparation of prospectus, gathering information relating to the Issue, determining financial structure, tie up of financiers, final allotment and refund of excess application money.

*2. Investment Adviser.

*3. Underwriting of Issues.

*4. Portfolio management Services.

*5. Managers, consultant or Adviser to any issue including corporate advisory services.

*6. Consultant or Adviser.

II. Registration Code for the merchant banker is MB

III. This certificate shall be valid from————to——————

and may be renewed as specified in regulation 9 of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulation, 1992.

By Order
Sd/-
For and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

Place

Date

(*Delete whichever are not applicable)

FORM C

Securities and Exchange Board of India (Merchant Banker) Regulations, 1992.

(Regulation 23)

DUE DILIGENCE CERTIFICATE

To

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

Dear Sirs,

Sub : Issue of——————————by——————————Ltd.

We, the undernoted Lead Manager(s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows :

1. We have while finalising the draft prospectus/letter of offer pertaining to the said issue have examined various documents and other material as relevant for adequate disclosures to the investor;

2. On the basis of such examination and the discussions with the company, its directors and other officers, other agencies, independent varification of the statements concerning objects of the issue the contents of the documents and other material furnished by the company, We confirm that :

(a) the draft prospectus/letter of offer forwarded to SEBI is in conformity with the documents, materials and papers relevant to the issue;

(b) all the legal requirements connected with the said issue have been duly complied with; and

(c) the disclosures made in the draft prospectus/letter of offer are true, fair and adequate to enable the investors to made a well informed decision as to the investment in the proposed issue.

Place :

Date :

Lead Manager(s) to the Issue

N.B.—A list of documents and materials examined may be forwarded along with this certificate.

SCHEDULE II

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MERCHANT BANKERS) REGULATIONS, 1992

(Regulation 12)

Fees

1. Every merchant banker shall subject to paragraphs 3 and 4 of this Schedule pay registration fees as set out below :

(a) Category I merchant banker.—A sum of Rs. 2.5 lakhs to be paid annually for the first two years commencing from the date of initial registration and thereafter for the third year a sum of Rs. 1 lakh to keep his registration in force.

(b) Category II merchant banker.—A sum of Rs. 1.5 lakhs to be paid annually for the first two years commencing from the date of initial registration and thereafter for the third year a sum of Rs. 50,000 to keep his registration in force.

(c) Category III merchant banker.—A sum of Rs. 1 lakh to be paid annually for the first two years commencing from the date of initial registration and thereafter for the third year a sum of Rs. 25,000 to keep his registration in force;

(d) Category IV merchant banker.—A sum of Rs. 5,000 to be paid annually for the first two years commencing from the date of initial registration and thereafter for the third year a sum of Rs. 1,000 to keep his registration in force.

2. Renewal fees to be paid by the merchant banker :—

(a) Category I merchant banker.—A sum of Rs. 1 lakh to be paid annually for the first two years from the date of each renewal and thereafter for the third year a sum of Rs. 20,000 to keep his registration in force;

(b) Category II mearchant banker.—A sum of Rs. 75,000 to be paid annually for the first two years from the date of each renewal and thereafter for the third year a sum of Rs. 10,000 to keep his registration in force;

(c) Category III merchant banker.— A sum of Rs. 50,000 to be paid annually for the first two years from the date of each renewal and thereafter for the third year a sum of Rs. 5,000 to keep his registration in force;

(d) Category IV merchant banker.—A sum of Rs. 5,000 to be paid annually for the first two years from the date of each renewal and thereafter for the third year a sum of Rs. 2,500 to keep his registration in force;

(3) Fees specified in paragraphs 1 and 2 above shall be paid in the following manner, namely :—

(a) First instalment is to be paid within 15 days fr the date of intimation from the Board under regulation 8.

(b) Subsequent instalment including the renewal fee be paid on or before expiry of 12 months of e year of registration beginning from date of gr of such registration.

(4) The Fees specified in paragraphs 1 and 2 above s be payable by a cheque, draft or other instrument in fa of "The Securities and Exchange Board of India" at Bom

SCHEDULE III

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDI (MERCHANT BANKERS) REGULATIONS, 199

CODE OF CONDUCT FOR MERCHANT BANKER

(Regulation 13)

1. A merchant banker in the conduct of his business s observe high standards of integrity and fairness in all dealings with his clients and other merchant bankers.

2. A merchant banker shall render at all high standards service, exercise due dilligence, ensure proper care and ex cise independent professional judgement. He shall where necessary, disclose to the clients possible sources of confl of duties and interests, while providing unbiased services.

3. A merchant banker shall not make any statement or b come privy to any act, practice or unfair competition, which likely to be harmful to the interests of other merchant be kers or is likely to place such other merchant bankers in disadvantageous position in relation to the merchant banker while competing for or executing any assignment.

4. A merchant banker shall not make any exaggerate statement, whether oral or written, to the client either abo qualification or the capability to render certain services or h achievements in regard to services rendered to other client

5. A merchant shall always endeavour to—

(a) render the best possible advice to the clients havin regard to the clients needs and the environmen and his own professional skill; and

(b) ensure that all professional dealings are effected in prompt, efficient and cost effective manner.

6. A merchant banker shall not—

(a) divulge to other clients, press or any other party an confidential information about his client, which ha come to his knowledge; and

(b) deal in securities of any client company without mak ing disclosure to the Board as required under th regulations and also to the Board of Directors o the client company.

7. A merchant banker shall endeavour to ensure that—

(a) the investors are provided with true and adequate in formation without making any misguiding or ex

aggerated claims and are made aware of attendant risks before any investment decision is taken by them;

(b) copies of prospectus, memorandum and related literature are made available to the investors;

(c) adequate steps are taken for fair allotment of securities and refund of application money without delay; and

(d) complaints from investors are adequately dealt with.

3. The merchant bankers shall not generally and particularly in respect of issue of any sequirities be party to—

(a) creation of false market;

(b) price rigging or manipulation;

(c) passing of price sensitive information to brokers, members of the stock exchanges and other players in the capital market or take any other action which is unethical or unfair to the investors.

9. A merchant banker shall abide by the provisions of the Act, rules and regulations and which may be applicable and relevant to the activities carried on by the merchant banker.

G. V. RAMAKRISHNA, Chairman
Securities and Exchange Board of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993